

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

पंचम सत्र

वीरवार, 7 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940(शक्)

11.00 बजे(पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- (i) स्थगित } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे
(ii) दिन के लिए } जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

- दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग(सचिवालय प्रशासन सेवाएं) लिपिक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:पी0ई0आर0(स.प्र.से.)-बी(2)-8/2009 दिनांक 18.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.05.2015 को प्रकाशित; और
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग(सचिवालय प्रशासन सेवाएं) लिपिक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति(प्रथम संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:पी0ई0आर0(स0प्र0से0-1)बी(2)-8/2009-II दिनांक 09.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.05.2018 को प्रकाशित; और

(iii) हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 ।

(2) श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2018-19), समिति का अष्टम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि शहरी विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(2) श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2018-19), समिति का 10वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण:

दिनांक 4 फरवरी, 2019 को कर्नल इन्द्र सिंह सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा श्री बलबीर सिंह, सदस्य द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण:-

“इस सदन में एकत्रित सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदय का, दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं ।”

शिमला-171 004
दिनांक: 6 फरवरी, 2019

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(पंचम सत्र)

वीरवार, 07 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 (शक्) के लिए निर्धारित

तारांकित प्रश्न सूची हेतु

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या

शुद्धियां

*1196

"ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री" को
"मुख्य मन्त्री" पढ़ा जाए ।

शिमला

दिनांक: 06.02.2019

यशपाल शर्मा,

सचिव ।
